

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून

पत्रांक:- 4052/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-1/स्थानान्तरण,

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन, दिनांक 31.03.2018 को निर्धारित करते हुये वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया था, के क्रमांक 01 एवं 09 में आंशिक संशोधन करते हुये सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रमांक	जनपद	सुगम	दुर्गम
1	2	3	4
1	देहरादून	समस्त क्षेत्र (विकास खंड चकराता एवं विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत कोटी के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर)	विकास खंड चकराता एवं विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत कोटी का पर्वतीय क्षेत्र
9	नैनीताल	नगर पालिका, भीमताल नगर पालिका कालाढूंगी विकास खंड, हल्द्वानी विकास खंड, रामनगर	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका भीमताल नगर पालिका कालाढूंगी विकास खंड, हल्द्वानी विकास खंड, रामनगर को छोड़कर)

दिनांक 31.03.2018 को निर्गत सूची में अन्य क्षेत्रों का सुगम/दुर्गम का निर्धारित चिन्हांकन पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

मुकेश मोहन
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक:- /प्र0अ0/सिं0वि0/स्थानान्तरण/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त चिन्हांकन की प्रति सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाईड में प्रदर्शन करने की समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रमुख अभियन्ता

कृपया अवलोकन/प्रतिक्रिया
करना चाहे

D/naithani sir/karalyaly gyap

16/12/19

(सिजीव जैन)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता
16/12/19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या:- 673/प्र0अ0/कार्मिक-1/ई-5/ई-4/स्था0-2021, दिनांक: 30 मार्च, 2021
विषय:-उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (वर्ष 2021) की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन के सम्बन्ध में ।
अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खंड, देहरादून ।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (वर्ष 2021) की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन संलग्न कर इस आशय से प्रेषित करने के निदेश हुये है कि दिनांक 31.03.21 तक इस कार्यालय द्वारा किये गये सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन करने की समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

(संजीव जैन)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता
30.03.21
30/3/21

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत
सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन

क्र.सं.	जनपद	सुगम	दुर्गम
1	2	3	4
1	देहरादून	समस्त क्षेत्र (विकास खंड चकराता को छोड़कर)	विकास खंड चकराता
2	टिहरी	नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर को छोड़कर)
3	उत्तरकाशी	-	समस्त क्षेत्र
4	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, कोटद्वार नगर पालिका परिषद, दूगड्डा	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, कोटद्वार नगर पालिका परिषद, दूगड्डा को छोड़कर)
5	रूद्रप्रयाग	-	समस्त क्षेत्र
6	चमोली	-	समस्त क्षेत्र
7	हरिद्वार	समस्त क्षेत्र	-
8	उधमसिंहनगर	समस्त क्षेत्र	-
9	नैनीताल	नगर पालिका नैनीताल/भीमताल नगर पालिका कालाढूंगी विकास खंड, हल्द्वानी विकास खंड, रामनगर	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका नैनीताल / भीमताल नगर पालिका कालाढूंगी विकास खंड, हल्द्वानी विकास खंड, रामनगर को छोड़कर)
10	अल्मोड़ा	-	समस्त क्षेत्र
11	बागेश्वर	-	समस्त क्षेत्र
12	चम्पावत	नगर पालिका परिषद, टनकपुर / बनबसा	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, टनकपुर / बनबसा को छोड़कर)
3	पिथौरागढ़	-	समस्त क्षेत्र

(टी0एस0मर्तोल्या)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता
31/3/18